

(4)

प्रेषक,

अनिल कुमार XI  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
सहारनपुर।

सेवा में

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय  
सहारनपुर।

**विषय—** प्रार्थी/शिकायतकर्ता मुख्तार अहमद एडवोकेट के शिकायती प्रार्थनापत्र बाबत प्रार्थी आमिर बेग के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में।

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयक शिकायतकर्ता मुख्तार अहमद एडवोकेट के प्राप्त पत्र के क्रम में विनम्र अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि:-

1—प्राप्त अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 प्रार्थी आमिर बेग की ओर से 1—बी0डी0ओ0 सरसावा रवि प्रकाश सिंह थाना सरसावा, जिला सहारनपुर, 2—ए0डी0ओ0 (कृषि) सरसावा नरेन्द्र कुमार धारीवाल थाना सरसावा, सहारनपुर, 3—पंचायत सैकेटरी विनोद सैनी गाव पंचायत धलापड़ा, थाना सरसावा, सहारनपुर, 4—सुदेश देवी प्रधान गांव पंचायत धलापड़ा, ब्लॉक व थाना सरसावा, सहारनपुर, 5—शिवकुमार पुत्र हरचन्द्र प्रधानपति गांव पंचायत धलापड़ा, ब्लॉक व थाना सरसावा, सहारनपुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराने हेतु दिनांक 18.03.2019 को संस्थित किया गया था जिसमें पारित तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर डॉ दीनानाथ के आदेश दिनांकित 16.04.2019 के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवरथा फौजदारी अपील सं0 781/12 श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रकाश में जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी सहारनपुर से आख्या तलब की गयी थी।

प्रार्थी आमिर बेग के उक्त प्राप्त पत्र के क्रम में अधोहस्ताक्षरी के आदेश दिनांकित 15.07.2020 के द्वारा प्रश्नगत मामले के प्रार्थी का प्राप्त पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 स्वीकार कर सम्बन्धित थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक को अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना निष्पादित किये जाने हेतु आदेशित किया गया था। (आदेश की छायाप्रति संलग्न एनेक्जर संख्या-01)

तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांकित 16.04.2019 के अनुक्रम में मुख्य विकास अधिकारी सहारनपुर द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य में जांच आख्या पत्रांक संख्या—513/वाद/विविध/2019 दिनांकित 10 जून 2019 न्यायालय में प्रेषित की गयी थी। शिकायतकर्ता का यह आरोप भी पूर्णतः असत्य एवं वास्तविकता से परे है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुष्टेन्द्र सिंह उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी/उपनिदेशक की जांच आख्या का उल्लेख आदेश में ना किया गया हो। अधोहस्ताक्षरी ने प्रार्थी आमिर बेग के प्राप्त पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 पर पारित अपने आदेश दिनांकित 15.07.2020 के पृष्ठ संख्या—03 की प्रथम पंक्ति में ही उक्त जांच आख्या के पत्रांक 513/वाद विविध/2019 दिनांकित 10.06.2019 जो मुख्य विकास अधिकारी, सहारनपुर के द्वारा इस न्यायालय में प्रेषित की गयी, का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

यहाँ यह उल्लेख किया जाना भी समीचीन होगा कि प्राप्त पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 में अभियोग पंजीकृत कराने का आदेश पारित किये जाते समय मामले की पूर्ण विवेचना कर दोस्सिद्ध करने का कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, अपितु सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना निष्पादित किए जाने का आदेश किया जाता है तथा विवेचना का पूर्ण दायित्व विवेचक पर होता है। न्यायालय तथ्य सम्बन्धी किसी विशिष्ट बिन्दु पर प्रार्थी के पक्ष में किसी प्रकार की कोई उपधारणा किये जाने का निर्देश विवेचक को नहीं दे सकता है और न ही कोई भी पक्षकार न्यायालय को इस बात के लिए बाध्य कर सकता है कि वह अपने आदेश में किन शब्दों का प्रयोग करें।

यह बड़ा ही हास्यास्पद एवं मूखर्तापूर्ण तथ्य है कि शिकायतकर्ता ने अपने प्राप्त पत्र में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि विषेशीगण ने अधोहस्ताक्षरी से साज करके स्वयं के विरुद्ध ही

अभियोग पंजीकृत कराए जाने का आदेश पारित कराया है। सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति की भाँति विद्यार करने पर दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति अथवा अधिकारी नहीं हो सकता है जो स्वयं के विरुद्ध ही अभियोग पंजीकृत कराने हेतु न्यायालय से साज करे। यदि वास्तविक रूप से प्रश्नगत मामले के आरोपितगण को स्वयं के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराने से कोई लाभ हुआ है तो उसका मुख्य जिम्मेवार इस मामले का प्रार्थी आमिर बेग व उसके अधिवक्ता मुख्तार अहमद हैं, क्योंकि अभियोग पंजीकृत कराने हेतु प्रा०पत्र उनके द्वारा ही न्यायालय में संस्थित किया गया था ना कि न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से कोई आदेश पारित किया गया है। स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता को शिकायत हेतु कोई तथ्य न मिलने पर उसके द्वारा उस तथ्य पर शिकायत की गयी है जिसके अनुतोष हेतु स्वयं उसके द्वारा न्यायालय में प्रा०पत्र प्रस्तुत किया गया था और जो अनुतोष न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया था।

**2-** जहां तक मुख्य विकास अधिकारी सहारनपुर की आख्या दिनांकित 10.06.2019 का प्रश्न है उक्त आख्या मूलतः उनके द्वारा उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी/उपनिदेशक मण्डल सहारनपुर की आठ पृष्ठीय विस्तृत आख्या (छायाप्रति संलग्न) में शिकायतकर्ता आमिर बेग की शिकायत के प्रत्यक्ष विन्दु को जाच करते हुए सम्बन्धित शिकायत में आरोपितगण के विरुद्ध आरोपों के साबित नहीं होने का सच्चरख करते हुए आख्या प्रेषित की गयी थी। जिसमें मुख्य रूप से श्री नरन्द्र कुमार धारीवाल १० डी०३० कृषि द्वारा अपनी स्थलीय जाँच आख्या में करवाये गये कथित फर्जी हस्ताक्षर के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट मत व्यक्त नहीं किया था, क्योंकि उक्त तथ्य हस्तलेख विशेषज्ञ की जाँच आदि से सम्बन्धित था। (एनेक्जर संख्या-02)। अतः कथित विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि उक्त वाद में पुष्टेन्द्र सिंह, उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी की जाँच में आरोपितगण के विरुद्ध अपराध सिद्ध होना पाया गया है, यात्तविकता से परे है।

प्रश्नगत मामले में कथित रूप से शिकायतकर्ता की फर्जी संतुष्टि व फर्जी हस्ताक्षर दिखाकर व कूट रचना करने का आरोप अपने प्रा०पत्र अंतर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० में लगाया गया था, जिसके लिए विवेचना आवश्यक थी, क्योंकि जाँच अधिकारी द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट मत व्यक्त नहीं किए गए थे। ऐसी दशा में मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत मामले में अधोहस्ताक्षरी के विस्तृत आदेश दिनांकित 15-07-2020 के द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विवेचना के आदेश पारित किये गये थे, जिससे वास्तविक तथ्य न्यायालय के समक्ष आ सके। अन्यथा पुष्टेन्द्र सिंह, उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी की जाँच आख्या में आरोपित अधिकारीगण के विरुद्ध आरोपों के साबित होने का उल्लेख नहीं किया गया था। यहाँ यह उल्लेख किया जाना भी समीयीन होगा कि उक्त जाँच मात्र शिकायती प्रार्थना पत्र पर की गई सरसंगी जाँच है, न कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत की गई गिरावधी की जाँच। उक्त जाँच आख्या के अन्तिम परस्तर में जाँच अधिकारी द्वारा आरोपितगण के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही किए जाने आदि का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा पुलिया निर्माण में प्रयोग की गई सामग्री के भी संतोषजनक होने का उल्लेख किया गया है।

**3-**अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 15-07-2020 के कम में सम्बन्धित थाने में मुकदमा अपराध संख्या-235/2021 अंतर्गत धारा 420, 467, 468 भा०द०सं० आरोपितगण के विरुद्ध पंजीकृत हुआ तथा मामले के विवेचक द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अपराध बनता ना पाते हुए अन्तिम रिपोर्ट संख्या-03/2021 दिनांकित 16.01.2021 न्यायालय में प्रेषित की गयी थी।

उक्त अन्तिम आख्या के विरुद्ध वादी की ओर से जरिए अधिवक्ता मुख्तार अहमद एडवोकेट प्रोटेस्ट पिटीशन संस्थित की गयी थी जिस पर पारित इस न्यायालय के विस्तृत आदेश दिनांकित 01.01.2022 के द्वारा अन्तिम आख्या को निरस्त करते हुए अग्रिम विवेचना का आदेश पारित किया गया है। (एनेक्जर संख्या-3)

प्रश्नगत प्रकरण में अग्रिम विवेचना आख्या समय से प्रेषित नहीं किये जाने के कारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 19.05.2022 के द्वारा सम्बन्धित थानाध्यक्ष/मामले के विवेचक को व्यक्तिगत रूप से तलब किये जाने का आदेश पारित करते हुए दिनांक 17.06.2022 नियत की गयी (एनेक्जर संख्या-4)। दिनांक 17.06.2022 को अधोहस्ताक्षरी के ग्रीष्मकालीन अवकाश पर होने की दशा में दिनांक 28.06.2022 नियत की गयी। दिनांक 28.06.2022 को वादी की ओर से स्थगन प्रा०पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अग्रिम तिथि 13.07.2022 अर्थात् आज थी, जिसमें वादी की ओर

23/07/2022

से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुनः विस्तृत आदेश पारित किया गया तथा अग्रिम तिथि 18-08-2022 नियत की गई (एनेकजर संख्या-5)। प्रश्नगत मामले में अपी तक अग्रिम विवेचन उपरान्त कोई आख्या न्यायालय में प्राप्त नहीं हुई है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथासम्भव शीघ्रता से मामले में कार्यवाही की जा रही है।

**4-** प्रश्नगत मामले में यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि अधिवक्ता मुख्यतार अहमद एड्डोकेट प्रश्नगत मामले में व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध रहे हैं जिनके द्वारा प्रारम्भ से ही अधोहस्ताक्षरी पर अवैधानिक रूप से दबाव बनाने का प्रयास किया गया, किन्तु अधोहस्ताक्षरी द्वारा उनके किसी भी दबाव को ना मानते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किये गये हैं।

**5-** जहाँ तक इस शिकायतकर्ता अधिवक्ता के शिकायती प्रार्थना पत्र में वर्णित मुकदमा अपराध संख्या-167 / 2020 का प्रश्न है उक्त अभियोग को ० 791 पंकज तोमर द्वारा अभियुक्तगण तंजीम उर्फ मुल्ला, अजीम, फहीम, नसीम, वसीम, श्रीमती शाहिन एवं एक अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था जो इस अधिवक्ता के मुख्य पक्षकार आमिर बेग के परिचित/परिजन आदि है। उक्त मामले में न्यायालय में आरोपित अभियुक्तगण श्रीमती साहिन, गुलनवाज, फैजान व आमिर बेग सहित कुल 14 अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अर्तर्गत धारा 147,148,149,332,353,186 504 सहित कुल ०० में आरोपपत्र प्राप्त हो चुका है तथा अपराध का प्रसंज्ञान लिया जा चुका है, जिसमें भा०द०स० में आरोपपत्र प्राप्त हो चुका है तथा अपराध का प्रसंज्ञान लिया जा चुका है, जिसमें अभियुक्तगण की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु उनके विरुद्ध सम्मन जारी हैं। अभियुक्तगण अधिवक्ता के मुख्य पक्षकार आमिर बेग व उसके परिजन आदि हैं, को जानकारी होने जो कि इस अधिवक्ता के मुख्य पक्षकार आमिर बेग व उसके परिजन आदि हैं, को जानकारी होने के बाद भी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उक्त मामले में समन पर तामीला प्राप्त न होने के कारण अभी के बाद भी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उक्त मामले में समन पर तामीला प्राप्त न होने के कारण अभी के उत्पीड़क आदेशिका जारी नहीं की गई है, किन्तु यह अधिवक्ता आमिर बेग व उसके परिजनों के प्रत्येक मामले में कार्यालय में घूमघूम कर जानकारी प्राप्त करता है और व्यक्तिगत रूप से इसे जानकारी है। मामले में अग्रिम नियत तिथि 25-08-2022 है।

उक्त मामले में अभी अभियुक्तगण उपस्थित नहीं आये हैं और ना ही आरोप विरचित होकर विचारण पूर्ण हुआ है। ऐसी दशा में उक्त मामले में इस स्तर पर किसी भी अभियुक्त के सम्बन्ध में ऐसी कोई विधिक उपधारणा नहीं की जा सकती है कि वह प्रारम्भ से ही बाइज्जत बरी हो चुके हैं और ना ही यह उपधारणा की जा सकती है कि किसी पुलिस बाइज्जत बरी हो चुके हैं और ना ही यह उपधारणा की जा सकती है कि किसी के प्रभाव में आकर इस अधिवक्ता के कर्मचारी द्वारा किसी व्यक्तिगत रंजिश में अथवा किसी के प्रभाव में आकर इस अधिवक्ता के मुख्य मुवकिल आमिर बेग के परिजन आदि के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी हो।

इस अधिवक्ता द्वारा अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में उक्त का उल्लेख इस उद्देश्य से किया गया है कि इस शिकायती अधिवक्ता द्वारा अपने मुख्य मुवकिल आमिर बेग पुत्र फास्तूब बेग के साथ भाई इमरान बेग पुत्र फास्तूब बेग की ओर से इस न्यायालय में प्रकल्पी प्रार्थना पत्र संख्या 218 / 2021 अन्तर्गत धारा 156 (3) दं०प्र०स० इमरान बेग वनाम उपनिरीक्षक वेदपाल थाना सरसावा जिला सहारनपुर हाल उपनिरीक्षक थाना कोतवाली देहात सहारनपुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा इसके सहारनपुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा इसके वर्तमान में मुख्य मुवकिल आमिर बेग के परिजन के विरुद्ध संस्थित उक्त अभियोग में विवेचना की गई है तथा न्यायालय में उक्त मामले में आरोप पत्र प्राप्त हुआ है। यह अधिवक्ता उक्त विवेचक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराकर आमिर बेग व उसके परिजनों अधिवक्ता उक्त विवेचक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराकर आमिर बेग व उसके परिजनों आदि सहित कुल 14 अभियुक्तगण के विरुद्ध गम्भीर धाराओं में प्राप्त आरोप पत्र के मामले में आदि हेतु बहस के स्तर पर चल रही है किन्तु इसके द्वारा दबाव बनाना चाहता है, जिससे पुलिसकर्मी दबाव में आकर समझौता आदि हेतु बाध्य हो जायें। उक्त पत्रावली विगत लम्बे समय से बहस के स्तर पर चल रही है किन्तु इसके द्वारा बहस नहीं की जा रही है और मामले को टाला जा रहा है। उक्त पत्रावली में बहस हेतु अग्रिम तिथि 03-08-2022 है तथा पिछली तिथि 05-07-2022 थी। इस अधिवक्ता द्वारा बड़े ही सोच विचार कर और सुनियोजित तरीके से उक्त मामले की बहस की तिथि से कुछ दिन ही सोच विचार कर और सुनियोजित तरीके से उक्त मामले की बहस की तिथि से कुछ दिन पूर्व ही शिकायती प्रार्थना पत्र इसी उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं कि उक्त मामले में इसके अनुरूप आदेश पारित कर दिया जाये। दिनांक 05-07-2022 को भी इसके द्वारा उक्त मामले में व्यवधानिक प्रक्रिया से परे जाकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसका निरसारण

13/07/2022


अधोहस्ताक्षरी द्वारा उसी तिथि पर करते हुए बहस हेतु दिनांक 03-08-2022 नियत की गई  
(एनकजर संख्या-6)।

6-यह शिकायतकर्ता अधिवक्ता इस हद तक व्यक्तिगत रूप से प्रश्नगत मामले में शामिल रहा है कि इसके द्वारा अधोहस्ताक्षरी को यह कहा गया कि वह पिछले कई साल से आमिर बेग और उसके परिजनों से सम्बन्धित प्रकरणों को लेकर विभिन्न सरकारी अधिकारियों व गाव के प्रधान आदि के विरुद्ध विविध स्तरों पर पैरवी कर रहा है। इस अधिवक्ता के द्वारा मेरे सरकारी आवास पर आकर यह कहा गया कि श्रीमान जी यदि प्रश्नगत मामले में आरोपित अधिकारियों तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, सरसावा, रवि प्रकाश सिंह सहायक विकास अधिकारी कृषि सरसावा, पचायत संकंटरी, तत्कालीन ग्राम प्रधान व प्रधान पति को प्रोटेरेट पिटीशन स्वीकार करते हुए तलब करने का आदेश पारित कर देते हैं तो उसके मुख्य मुवक्किल व उसके द्वारा इस मामले में कई साल से की जा रही मेहनत व खर्च की गयी धनराशि की भरपाई उक्त से हो सकती है तथा इलाके में मेरा नाम हो जायेगा। मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से इंकार करते हुए कथन किया गया कि प्रश्नगत मामले में वही आदेश पारित किया जायेगा जो तथ्यों के प्रकाश में विधिसम्मत होगा तथा मेरे द्वारा अन्तिम आख्या के विरुद्ध संरिथ्त प्रोटेरेट पिटीशन पर अग्रिम विवेचना का आदेश ही पारित किया गया, जो कि विधिसम्मत था। यह अधिवक्ता उक्त के पश्चात् प्रश्नगत मामले में भी अवैधानिक रूप से न्यायालय के माध्यम से विवेचक पर दबाव बनाना चाहता है। साथ ही न्यायालय पर भी दबाव बनाना चाहता है कि पुलिस की जाहे जो भी अग्रिम विवेचना आख्या न्यायालय में आये हर हाल में आरोपितगण को तलब किया जाये और इसी पेशबन्दी में दबाव बनाने के लिए इसके द्वारा इस मामले का उल्लेख करते हुए शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7-यह अधिवक्ता इस हद तक दबाव बनाने के लिए उत्सुक रहा है कि उसके द्वारा न सिर्फ़ स्वयं बल्कि अपने पौत्र/परिवार के किसी बालक आदि को साथ लेकर भी मेरे घर पर आया और पारिवारिक मित्रता करने का भी प्रयास किया गया, किन्तु मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से इनका किया गया और सामाजिकता के नाते यह समझाया गया कि बच्चों को लेकर भविष्य में नहीं आये और ना ही स्वयं भी अनावश्यक रूप से सरकारी आवास पर आने का कष्ट करें। न्यायालय के कार्य न्यायालय में ही होंगे तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी भी प्रकार के दबाव में कार्य नहीं किया जायेगा। इस अधिवक्ता की मेरे सरकारी आवास पर पहुंचने की पुष्टि इसके मोबाईल की लोकेशन आदि से की जा सकती है। इस अधिवक्ता के मेरे सरकारी आवास पर कई बार आने पर आखिरी बार मेरे द्वारा अपने परिजनों के माध्यम से इसे दरखाजे स हो लौटा दिया गया और सख्त निर्देश दिया गया कि भविष्य में नहीं आये, जिसकी पुष्टि भी इसके मोबाईल की लोकेशन से हो सकती है जिसमें अन्तिम बार मेरे घर के आस-पास एक-आधा मिनट के लिए इसकी उपस्थिति पायी जायेगी।

इस अधिवक्ता के पास इस न्यायालय में मेरी अधिकतम जानकारी में आमिर बेग और उसके परिजनों के अतिरिक्त शायद ही कोई मामला रहा हो जिसमें यह उपस्थित आया हो और मेरी अधिकतम जानकारी में यह तथ्य भी है कि इस अधिवक्ता के पास अन्य कोई मामला भी नहीं है जिसकी पुष्टि पिछले लगभग दो वर्षों के कम्प्यूटर अनुभाग के सी0.जी0.एस0 पर विभिन्न अधिवक्ताओं द्वारा विविध प्रकार के प्रा0पत्र, वाद आदि दर्ज कराये जाने सम्बन्धी विवरण से हो सकती है, जिसमें इस अधिवक्ता के द्वारा आमिर बेग आर उसके परिजनों के अलावा शायद ही किसी अन्य मामले में कोई उपस्थिति पायी जाये। यह अधिवक्ता न्यायालय परिसर में भी आमिर बेग व उसके परिजन के मामले से सम्बन्धित विधियों पर ही सामान्यतः उपस्थित आता है जिसकी पुष्टि भी इस अधिवक्ता के मोबाईल लोकेशन व न्यायालय परिसर में मौजूद सी0सी0टी0वी0 कैमरों आदि से की जा सकती है।

8-यह अधिवक्ता इस हद तक दबाव बनाने के लिए उत्सुक रहा है कि उसके द्वारा न सिर्फ़ स्वयं बल्कि अपने पौत्र/परिवार के किसी बालक आदि को साथ लेकर भी मेरे घर पर आया

  
13/07/2022

और पारिवारिक मित्रता करने का भी प्रयास किया गया, किन्तु मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से इंकार किया गया और सामाजिकता के नाते यह समझाया गया कि बच्चों को लेकर भविष्य में नहीं आये और ना ही खवयं भी अनावश्यक रूप से सरकारी आवास पर आने का कष्ट करें। न्यायालय के कार्य न्यायालय में ही होंगे तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी भी प्रकार के दबाव में कार्य नहीं किया जायेगा। इस अधिवक्ता की मेरे सरकारी आवास पर पहुंचने की पुष्टि इसके मोबाईल की लोकेशन आदि से की जा सकती है। इस अधिवक्ता के मेरे सरकारी आवास पर कई बार आने पर आखिरी दिया गया कि भविष्य में नहीं आये, जिसकी पुष्टि भी इसके मोबाईल की लोकेशन से हो सकती है जिसमें अन्तिम बार मेरे घर के आस-पास एक-आधा मिनट के लिए इसकी उपस्थिति पायी जायेगी।

इस अधिवक्ता के पास इस न्यायालय में मेरी अधिकतम जानकारी में आमिर बेग और उसके परिजनों के अतिरिक्त शायद ही कोई मामला रहा हो जिसमें यह उपस्थित आया हो और मेरी अधिकतम जानकारी में यह तथ्य भी है कि इस अधिवक्ता के पास अन्य कोई मामला भी नहीं है जिसकी पुष्टि पिछले लगभग दो वर्षों के कम्प्यूटर अनुभाग के सी०आई०एस० पर विभिन्न अधिवक्ताओं द्वारा विविध प्रकार के प्रा०पत्र, वाद आदि दर्ज कराये जाने सम्बन्धी विवरण से हो सकती है, जिसमें इस अधिवक्ता के आमिर बेग और उसके परिजनों के अलावा शायद ही किसी अन्य मामले में कोई उपस्थिति पायी जाये। यह अधिवक्ता न्यायालय परिसर में भी आमिर बेग व उसके परिजन के मामले से सम्बन्धित तिथियों पर ही सामान्यतः उपस्थित आता है जिसकी पुष्टि भी इस अधिवक्ता के मोबाईल लोकेशन व न्यायालय परिसर में मौजूद सी०सी०टी०वी० कैमरों आदि से 24 की जा सकती है। इस अधिवक्ता पर अन्य कोई अधिक कार्य न होने के कारण यह अधिवक्ता 24 X 7 आमिर बेग व उसके परिजनों से जुड़े मामलों में ही विविध स्तरों पर लगा रहता है तथा परिजनों से जुड़े मामलों में उन अधिकारीगण जिनके विरुद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं व न्यायालयों के माध्यम से अभियोग पंजीकृत कराने आदि की कार्यवाही की गई है और तलब कराने का प्रयास किया जा रहा है, के सम्बन्ध में शिकायतें आदि न की गई हों। कोई और कार्य न होने के कारण प्रतिदिन यह इसी प्रकार के प्रार्थना पत्र एक से दूसरी जगह प्रस्तुत करता रहता है।

**9—प्रश्नगत मामले में आरोपित किये गये सरकारी अधिकारीगण व ग्राम प्रधान आदि**  
में से किसी भी व्यक्ति ने किसी भी समय न तो अधोहस्ताक्षरी से व्यक्तिगत रूप में ना ही दूरभाष और ना ही किसी अन्य प्रकार से कभी भी कोई मुलाकात हुई है और ना ही किसी तो मैं जानता हूं ना ही मेरा कोई पूर्व परिचय है और ना ही कोई भी व्यक्ति किसी भी समय तक ना प्रकार की कोई वार्ता हुई। आरोपितगण में से किसी भी व्यक्ति को आज की तिथि तक ना समस्त तथा पूर्णतः असत्य, कल्पित एवं निराधार हैं। यहाँ तक की अधोहस्ताक्षरी को इस तथ्य की भी कोई जानकारी नहीं है कि आरोपित अधिकारी वर्तमान में इस जनपद में तैनात है अथवा नहीं तथा कथित ग्राम प्रधान भी वर्तमान में ग्राम प्रधान है अथवा नहीं।

**10—जहाँ तक प्रा०पत्र में वर्णित कथित चालानशुदा डम्परों आदि के छोड़े जान का प्रश्न है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने सम्पूर्ण कार्यकाल में सैकड़ों मामलों में वाहन अवमुक्ति सम्बन्धी आदेश पारित किये गये हैं जिसमें आज की तिथि तक अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित किसी भी आदेश जिसमें वाहन अवमुक्त किया गया हो, के विरुद्ध एक भी प्रतिकूल आदेश प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें अधोहस्ताक्षरी के आदेश को निरस्त किया गया हो। यहाँ तक कि किसी भी मामले के वादी आदि की ओर से किसी भी प्रकार का कोई ग्राम पुनरीक्षण आदि खनन आदि के किसी मामले में संस्थित किये जाने का कोई प्रकरण अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में नहीं आया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा विविध प्रकरणों में जितने भी आदेश पारित किये गये हैं वह पूर्णतः विधिसम्मत हैं। शिकायतकर्ता द्वारा अपने प्रा०पत्र में ऐसे किसी भी विशेष मामले का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसमें अधोहस्ताक्षरी द्वारा कोई भी अवैधानिक आदेश पारित किया गया हो।**

३०८५२२

**11-शिकायतकर्ता अधिवक्ता वस्तुतः** इस बात से विश्वास्य है कि प्रश्नगत मामले में पुलिस द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या के विरुद्ध सरिथत प्रोटोकॉल पिटीशन पर पारित आदेश में आरोपितगण को मेरे द्वारा तलब नहीं किया गया, जिससे उक्त मामले का प्रार्थी व शिकायतकर्ता सरकारी अधिकारीगण को ब्लैकमेल कर उनसे मोटी धनराशि प्राप्त करने से विचित रह गये। वस्तुतः इस अधिवक्ता के पास वर्तमान में आमिर बेग के मामलों के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य सामान्यतः ना होने के कारण अपने अधिवक्ता के पेशे में अपना प्रभाव दर्शाने के लिए अपने मुख्य पक्षकार के हक में प्रत्येक रस्ते पर अपने मनवाछित आदेश पारित कराना चाहता है। इस अधिवक्ता द्वारा कई बार मेरे विश्रामकक्ष में भी आकर दबाव बनाने का प्रयास किया गया तथा मेरे द्वारा समझाया गया कि आप फेयर प्रैक्टिस करें। किसी भी मामले में दबाव बनाने से न्यायालय आपके अनुरूप आदेश पारित नहीं सकता है और मेरे द्वारा न सिर्फ इस अधिवक्ता द्वारा बल्कि इस न्यायालय में उपरित्थि होने वाले किसी भी अधिवक्ता के प्रभाव में आकर ना तो कोई आदेश पारित किया गया है और ना ही भविष्य में किसी जायेगा याहे दबाव बनाने वाला अधिवक्ता कितना ही शिकायती प्रवृत्ति का अथवा दौरःज्य न हो। अधिक आदेश मामले के गुण-दोष पर पारित किये जाते हैं ना कि किसी अधिवक्ता के प्रभाव में आकर।

न्यायालय का प्रयास यथाशीघ्रता से वाद का गुण-दोष पर निस्तारण किये जाने का होता है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में अधोहस्ताक्षरी के विरुद्ध आरोपित समर्त तथ्य पूर्णतः असत्य, निराधार, काल्पनिक एवं वास्तविकता से परे हैं, जिसका एक मात्र उददेश्य अधोहस्ताक्षरी पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाकर आगे मन वांछित हितों की अवैधानिक रूप से प्रतिपूर्ति करना है। न्यायालय को आरोपित करते हुए न्यायालय पर दबाव कारित करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाना न्याय की मशा के सर्वथा विरुद्ध है।

**अपने स्पष्टीकरण के कथनों के समर्थन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा शपथपत्र भी प्रस्तुत किया जा रहा है।**

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के कम में मजिस्ट्रेट न्यायालयों में नवीन अधिकारियों की तैनाती होने व माननीय उच्च न्यायालय की आदेशिकाओं के अनुपालग व पद से जुड़े हुए प्रशासनिक कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता के कारण समय से आख्या प्रेषित नहीं की जा सकी है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा आख्या प्रेषित किये जाने में जानवृद्धकर कोई विलम्ब कारित नहीं किया गया है।

आख्या आदरणीय महोदय की सेवा में अपलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

आदर सहित।

**संलग्नक:** उपरोक्तानुसार व शपथपत्र।

टिंगॉक: 13-07-2022

भवदीय,

(अनिल कुमार XI)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
सहारनपुर।



राज्यमय जयते

## INDIA NON JUDICIAL

### Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No.

: IN-UP41409271473634U

Certificate Issued Date

: 13-Jul-2022 04:46 PM

Account Reference

: NEWIMPACC (SV)/ up14731304/ SAHARANPUR SADAR/ UP-SHR

Unique Doc. Reference

: SUBIN-UPUP1473430474928336473233U

Purchased by

: ANIL KUMAR XI SO LATE RAM KHLADI

Description of Document

: Article 4 Affidavit

Property Description

: Not Applicable

Consideration Price (Rs.)

:

First Party

: ANIL KUMAR XI SO LATE RAM KHLADI

Second Party

: Not Applicable

Stamp Duty Paid By

: ANIL KUMAR XI SO LATE RAM KHLADI

Stamp Duty Amount(Rs.)

: 10  
(Ten only)



**समक्ष माननीय जिला न्यायाधीश, महोदय, सहारनपुर।  
शपथपत्र ओर से:-अनिल कुमार XI, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।**

1- मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरा उपरोक्त नाम व पदनाम सब सच व सही है तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होने के कारण कुल वाकात से परिचय हूँ।

2- मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि शिकायतकर्ता श्री मुख्तार अहमद एडवोकेट के प्राथमिक पत्र के जवाब मे मुझ शपथकर्ता द्वारा जो स्पष्टीकरण माननीय महोदय को प्रेषित किया जा रहा है, उसमें अकिञ्चन समर्त कथन सच एवं सही है, जिनको मैं पुनः इस शपथ पत्र के माध्यम से दोहराता हूँ तथा इनका इस शपथ पत्र के माध्यम से समर्थन करता हूँ।

सत्यापन:-मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि शपथ पत्र के पैरा संख्या 1 व 2 मे किए गए समर्त कथन मे जाति इलम व जानकारी में सब सच व सही है काइ तथ्य छिपाया नहीं गया है। इसपर गत गोले में गोली नदद करें।

दिनांक 13-07-2022

शपथकर्ता  
शपथकर्ता

#### Statutory Area.

1. The authenticity of this Statute can be verified at www.digiLocker.gov.in  
by cross-referencing with the details on DigiLocker issued e-Stamp.

2. This copy of this Statute has been issued from the e-Governance System of the Government of India.

संपादित किया गया

११८१ - २०७ मीनमें

प्राप्ति - १९५८

UPT BT-4728

उत्तर दिल्ली



33

विषय = जन्म/विवाहपट नवीन सुखना जैसा

११८१/२२ उत्तोलित के विवाहपट) जन्म-पत्र व्याप्ति

जन्म आस्ति लोग के उत्तोलित अन्तर्गत

-वार्ष १८६(३) इन्द्रप्रस्थ की गड़ी कामियाँ)

के लम्बन्त में।

जन्म  
पत्र  
व्याप्ति

जन्म आस्ति

विवाहपट

व्याप्ति

पत्र